अध्याय–7

खनन प्राप्तियां

7.1 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग सचिव, म0 प्र0 शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख हैं, जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय पर उप संचालक तथा जिला स्तर खनिज अधिकारी होते है। जिला खनिज अधिकारियों के सहायता के लिये सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक होते है। जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते है।

7.2 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रायः इसे सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण के रूप में माना जाता है। यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि संगठन निर्धारित प्रणाली के अनुरूप कार्य कर रहा है।

हमने अवलोकित किया कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की विद्यमान नहीं थी। जिसके कारण वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक खनिज इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

7.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2013–14 में खनन प्राप्तियों से संबंधित 51 ईकाइयों में से 23 ईकाइयो के अभिलेखों की नमूना जांच में 531 प्रकरणों में ₹ 196.58 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जिन्हें **तालिका 7.1** में उल्लिखित निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 7.1

			(₹ करोड़ में)
स. क्र.	**श्रेणी**	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
1	अनिवार्य किराया/राज्यांश का अनारोपण/कम आरोपण	185	12.40
2	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनिर्धारण	30	2.03
3	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली	71	3.72
4	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	204	0.84
5	अन्य प्रेक्षण	41	177.59
	योग	**531**	**196.58**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 328 प्रकरणों में ₹ 188.97 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/ कम वसूली होना/अनारोपण तथ अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 60 प्रकरणों में ₹ 1.73 करोड़ की वसूली की गई।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिसमें ₹ 26.29 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने जिला खनिज कार्यालयों में पट्टा/अनुज्ञापत्र अनुज्ञप्ति के आवेदन शुल्क में राज्यांश, अनिवार्य किराया, देय राशियों के विलंबित भुगतानों पर ब्याज व सड़क विकास कर की संवीक्षा की, जिसमें अनिधियों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने, अनिवार्य किराया, राज्यांश/संविदा राशि/सड़क विकास कर के अनारोपण/कम आरोपण के कई प्रकरण तथा अन्य प्रकरणों का पता चला, जिसका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा की गई इस तरह की त्रुटियाँ पूर्व में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में इंगित की गई

थी। लेकिन फिर भी ये अनियमितताएं न केवल बनी हुई है, बल्कि लेखापरीक्षा किये जाने तक असंसूचित रहती है। शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे ऐसी चूकों से बचा जा सकें।

7.5 उत्खनि मदों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

म. प्र. गौण खनिज नियम, 1966 के नियम 30 (i) (क) के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक प्रथम वर्ष को छोड़कर, सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष प्रथम माह की बीस तारीख को या उससे पूर्व अनुसूची-IV में विनिर्दिष्ट दरों पर अनिवार्य किराये का अग्रिम भुगतान करेगा। आगे, इस नियम की शर्त क्रमांक 26 में प्रावधान है कि इस नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तो का उल्लघंन किए जाने पर क्लेक्टर/अपर कलेक्टर, पट्टेधारक द्वारा शर्तो के उल्लघंन पर उसे लिखित में नोटिस जारी नोटिस के दिनांक से तीन दिन के भीतर उल्लघंन का सुधार करने के लिए निर्देशित करेगा और यदि उल्लघंन का सुधार नहीं किया जाता है या उचित कारण नहीं दर्शाया जाता है तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टे को समाप्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके किसी भाग को राजसात कर सकेगा या विकल्प के रूप में उल्लघंन के लिए पट्टेदार से उक्त छः माही अनिवार्य किराए की राशि के चार गुने से अनाधिक ऐसी शास्ति जो पट्टादाता नियत करें, प्राप्त कर सकेगा।

हमने 16 जिला खनिज कार्यालयों[1] के पट्टेदारों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि नमूना जाचं किये गये उत्खनि पट्टो से सम्बन्धित 625 पट्टेदारों में से 107 पट्टेदारों ने जनवरी 2007 से दिसम्बर 2013 की अवधि हेतु देय अनिवार्य राशि ₹ 3.32 करोड़ के विरूद्ध ₹ 26.53 लाख का भुगतान किया था। विभाग द्वारा भुगतान न की गई शेष शासकीय राशि को वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.05 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम प्राप्ति हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दर्शाया गया है।

[1] बडवानी, भिण्ड, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन, मंडला, नीमच, रीवा, शिवपुरी, सिंगरौली, और उमरिया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, भिण्ड और रीवा ने बताया कि मांग पत्र जारी कर वसूली की जावेगी। जिला खनिज अधिकारी, दतिया और शिवपुरी ने बताया कि वसूली उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। खनिज अधिकारी, होशंगाबाद ने बताया कि अनिवार्य किराये की वसूली नियमानुसार की जा रही है और वसूली लंबित नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि पट्टेदार (मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम) को उत्खनि पट्टा दिनांक 03.10.2005 के भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 22.09.2010 को स्वीकृत किया गया और नियमानुसार पट्टेदार, प्रथम वर्ष को छोड़कर, सम्पूर्ण वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष का अनिवार्य किराया देय था। अन्य खनिज अधिकारियों ने बताया गया कि संवीक्षा उपरान्त वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को (सितम्बर 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)

7.6 खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 (क) (प) तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार खनिपट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनुसूची–III में उल्लिखित दरों से राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान करना होगा लेकिन जहाँ पट्टाधारक निष्कासित या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिए राज्यांश का भुगतान करने का दांयी हो जाता है तो वह उसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे राज्यांश या अनिवार्य किराये, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा। आगे, खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27 (शर्ते) के उपनियम (5) के अनुसार, यदि पट्टेदार राज्यांश या अनिवार्य किराये के भुगतान में कोई चूक करता है जैसा कि अधिनियम की धारा–9 में उल्लिखित है, तो राज्य शासन पट्टेदार को देय राज्यांश या अनिवार्य किराये का भुगतान करने हेतु नोटिस देगा जिसकी प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन के भीतर उसको राज्यांश या अनिवार्य किराये का भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य शासन पट्टे को निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके भाग को राजसात कर सकेगा।

जिला खनिज कार्यालय छिंदवाड़ा के खनिपट्टो से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा में हमने पाया (अक्टूबर 2013) कि खनिपट्टो के संबंध में नमूना जांच किये गये 18 पट्टेदारों में

से एक पट्टेदार ने वर्ष 2012 एवं 2013 हेतु देय अनिवार्य ₹ 5.23 लाख का भुगतान नहीं किया गया। जिला खनिज अधिकारी ने अनिवार्य किराये की वसूली हेतु मांगपत्र जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप शासन को ₹ 5.23 लाख के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013), जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि संवीक्षा उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग या शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.7 संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना

मध्यप्रदेश गौण खनिज, 1996 के नियम 37(i) एवं व्यापारिक खदानों हेतु संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 5 (i)/9 के अनुसार, प्रत्येक ठेकेदार को नियत दिनांक पर संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। तत्पश्चात् संविदा राशि का भुगतान राज्य शासन को करना होता है। तत्पश्चात् संविदा राशि या अन्य कोई बकाया का एक माह से अधिक तक भुगतान नहीं होने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं खदान की पुर्ननीलामी न होने पर, यदि शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

हमने 11 जिला खनिज कार्यालयों[2] में नमूना परीक्षित 219 व्यापारिक खदानों की प्रकरण नस्तियों, चालान, अनुबंध की संवीक्षा के दौरान (अगस्त 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) अवलोकित किया गया कि 2011–13 में संविदा देय राशि ₹ 4.08 करोड़ देय थी जबकि ठेकेदारों द्वारा केवल ₹ 1.07 करोड़ का ही भुगतान किया गया। विभाग ने न तो वसूली की कोई कार्रवाई प्रारम्भ की और न ही ठेका निरस्त किया तथा खदानों की पुर्ननीलामी करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। परिणामस्वरूप परिशिष्ट-XVII में दिये गये विवरण के अनुसार 43 ठेकेदारों से ₹ 3.01 करोड़ की संविदा राशि की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, रीवा ने बताया कि ठेकेदारों को मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी। जिला

[2] बडवानी, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, खरगोन, मंडला, नरसिहंपुर, रीवा, शिवपुरी।

खनिज अधिकारी, भोपाल नरसिंहपुर और शिवपुरी ने बताया कि वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी, खरगौन और मण्डला ने बताया की संवीक्षा के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.8 राज्यांश की कम वसूली

7.8.1 खनि पट्टा

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (i) के अनुसार, खनि पट्टे से सम्बन्धित प्रत्येक पट्टे धारक को उसके द्वारा हटाये गये या उपयोग किए खनिजों के लिए अनुसूची–II में निर्धारित दरों से राज्यांश का भुगतान करना होगा। आगे, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा सितम्बर 2005, में निर्देश जारी किये गये, प्रत्येक छःमाही जनवरी से जून एवं जुलाई से दिसम्बर का कर निर्धारण क्रमशः 30 जुलाई एवं जनवरी में पूर्ण हो जाने चाहिए।

हमने तीन जिला खनिज कार्यालयों[3] के खनन पट्टो से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों, कर निर्धारण तथा वार्षिक विवरण की संवीक्षा के दौरान (अक्टूबर 2013) अवलोकित किया कि नमूंना जांच किये गये 42 पट्टेदारों में से चार पट्टेदारों ने डोलामाईट, चूना पत्थर तथा रॉक फास्फेट के उपयोग/परिवहन हेतु अविध मई 2005 से जुलाई 2005 के मध्य में देय राशि ₹ 1.69 करोड़ के विरूद्व ₹ 1.14 करोड़ का भुगतान किया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा दिनांक तक राज्यांश की बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.12 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। यदि जिला खनिज अधिकारी द्वारा विवरणियों की संवीक्षा समय से की गई होती जैसा कि संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा निर्देश दिये गये थे, तो राज्यांश की वसूली में विलम्ब से बचा जा सकता था।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013); जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर ने बताया कि ठेकेदारों को मांग पत्र जारी कर, लेखापरीक्षा को सूचित किया

[3] छिन्दवाड़ा, झाबुआ, नरसिहंपुर ।

जायेगा। जिला खनिज अधिकारी, झाबुआ ने बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा उपरांत मांग पत्र जारी किया जायेगा और जिला खनिज अधिकारी, छिंदवाड़ा ने बताया कि संवीक्षा के बाद वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.8.2 उत्खनि पट्टा

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 30 (1) (ब) में उल्लिखित उत्खनित पट्टे की सामान्यशर्तों के अनुसार पट्टेदार को प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में, अनिवार्य किराया या राज्यांश में जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा लेकिन दोनों का नहीं। पट्टेदार पट्टा क्षेत्र से उपयोग या परिवहन किये जाने हेतु खनिज अभिप्रेत की मात्रा के सम्बन्ध में राज्यांश का भुगतान करेगा, यदि उसके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई अनिवार्य किराये की राशि उपयोग या परिवहित किये गये खनिज पर राज्यांश के बराबर हो जाती है। आगे, इस नियम की शर्त क्रमांक 26 में प्रावधान है कि इस नियम में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर कलेक्टर/अपर कलेक्टर पट्टेधारक द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर उसे लिखित में नोटिस जारी कर नोटिस के दिनांक से 30 दिन के भीतर उल्लंघन का सुधार करने के लिए निर्देशित करेगा और यदि उल्लंघन का सुधार नहीं किया जाता है या उचित नहीं दर्शाया जाता है तो स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी पट्टे को समाप्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति जमा राशि या उसके किसी भाग को राजसात कर सकेगा या विकल्प के रूप में उल्लंघन के लिए पट्टेदार से उक्त छः माही अनिवार्य किराये की राशि के चार गुने से अनधिक ऐसी शास्ति, जो पट्टादाता नियत करें, प्राप्त कर सकेगा।

हमने नौ जिला खनिज कार्यालयों[4] के उत्खनि पट्टो से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों तथा विवरणियों से ज्ञात हुआ (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 229 पट्टेदारों में से 13 पट्टेदारों ने अवधि जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2013 के मध्य हटाये गये खनिजों के सम्बन्ध भुगतान योग्य राशि ₹ 3.55 करोड़ के विरूद्व ₹ 2.87 करोड़ के राज्यांश

[4] बडवानी, भिन्ड, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, नरसिंगपुर, नीमच, शिवपुरी एवं सिंगरौली

का भुगतान किया, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-XVIII** में दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.84 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, भिण्ड, नीमच एवं सिंगरौली ने बताया कि वसूली बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी दतिया, नरसिंहपुर और शिवपुरी ने बताया कि वसूली हेतु मांग पत्र जारी किये जायेंगे। जिला खनिज अधिकारी, बड़वानी और होशंगाबाद ने बताया कि संवीक्षा बाद वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया था (मई 2014), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (दिसम्बर 2014)

7.8.3 व्यापारिक खदान

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 37 की शर्त क्रमांक 5 (2) के अनुसार, यदि ठेकेदार निर्धारित मात्र से अधिक खनिज का उत्खनन करता है अथवा बाहर ले जाता है तो वह ऐसी अधिक उत्खनित या हटाई गई मात्र के लिए प्रचलित दर से राज्यांश का भुगतान करने का दायी होगा। यदि, संविदा राशि या अन्य कोई बकाया का एक माह से अधिक तक भुगतान नहीं होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं खदान की पुर्ननीलामी की जायेगी । परिणामस्वरूप खदान की पुननीलामी होने पर, यदि शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी ।

हमने जिला खनिज कार्यालय नरसिंहपुर में व्यापारिक खदानों से संबंधित ठेकेदारों की नस्तियों एवं चालानों की संवीक्षा के दौरान (अक्टूबर 2013) अवलोकित किया कि 20 ठेकेदारों में से एक ठेकेदार द्वारा (अप्रैल 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य) परिवहन किये गये खनिज की मात्रा हेतु देय संविदा राशि ₹ 53.33 लाख के विरूद्ध ₹ 46.59 लाख का भुगतान किया । जिला खनिज अधिकारी ने बकाया राशि की वसूली हेतु ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की । परिणास्वरूप ₹ 6.74 लाख राज्यांश की कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर ने बताया (अक्टूबर 2013) कि ठेकेदार से वसूली की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

7.9 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का वसूल न होना/कम होना ।

- **उत्खनि पट्टों में विलंबित भुगतानों पर ब्याज का कम आरोपण/कम वसूली ।**

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30(1)(डी) के अनुसार, उत्खनि के प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख को या इससे पूर्व राज्य शासन को अनिवार्य किराये का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जिसमें विफल रहने की स्थिति में पट्टाधारी को नियमों के अंतर्गत उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी दाण्डिक कार्रवाई के अतिरिक्त भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा ।

हमने 10 जिला खनिज कार्यालयों[5] में उत्खनि पट्टों से संबंधित अनिवार्य किराये तथा राज्यांश की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया । (सितम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) कि नमूना परीक्षित किये गये उत्खनि पट्टों से संबंधित 453 पट्टेदारों में से 65 पट्टेदारों द्वारा अनिवार्य किराये का भुगतान 20 से 1,415 दिनों तक विलम्ब से किया और देय ब्याज ₹ 11.58 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 0.66 लाख का भुगतान किया । खनिज अधिकारी ने विलंबित भुगतानों पर देय ब्याज की वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की गई । परिणामस्वरूप ₹ 10.92 लाख ब्याज की कम वसूली हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2013 और जनवरी 2014 के मध्य) 05 जिला खनिज अधिकारियों[6], ने बताया कि ब्याज की वसूली के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा बाद वसूली की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014) ।

[5] बडवानी, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, झाबुआ, नरसिहंपुर, रीवा, शिवपुरी।

[6] भोपाल, दतिया, झााबुआ, नरसिहंपुर, रीवा

- **व्यापारिक खदानों में विलंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली न होना/कम होना**

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम, 37(1) एवं संविदा अनुबंध की शर्त क्रमांक 5(i) के तहत व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों को उनके संविदा अनुबंध में दर्शित दिनांक को या उसके पूर्व संविदा राशि का भुगतान करना आवश्यक है । जिसमें विफल रहने की स्थिति में ठेकेदार संविदा राशि के अतिरिक्त, भुगतान न किये जाने तक 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान हेतु दायी होगा ।

हमने 11 जिला खनिज कार्यालयों[7] की व्यापारिक खदानों से संबंधित प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान (सितम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) अवलोकित किया गया कि नमूना जाँच किये 220 ठेकेदारों में से 49 ठेकेदारों ने संविदा राशि का भुगतान पाँच से 530 दिनों के विलम्ब से किया था एवं देय ब्याज ₹ 31.12 लाख के विरूद्ध ₹ 0.18 लाख का भुगतान किया । जिला खनिज अधिकारी ने विलंबित भुगतान पर ब्याज के आरोपण की कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणाम स्वरूप ₹ 30.94 लााख ब्याज की वसूली हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों के इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी, नरसिंहपुर, सिंगरौली एवं शिवपुरी ने बताया कि मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी । अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा के बाद वसूली की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं है (दिसम्बर 2014) ।

[7] बडवानी, भोपाल, छिन्दवाड़ा, दतिया, धार, ग्वालियर, मंडला, नरसिहंपुर, सिंगरौली, शिवपुरी, उमरिया।

7.10 अनधिकृत उत्खनन पर खनिजों के मूल्य का अनारोपण/वसूली न होना ।

खनिज संरक्षण तथा विकास निगम, 1988 के नियम खनन योजना के अनुसार खनन संक्रियाओं को संचालित करेगा । यदि खान योजना के अनुसार खनन संक्रियाऐं संचालित नहीं की जाती है तो क्षेत्रीय नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों (आई.बी.एम.) अथवा प्राधिकृत अधिकारी समस्त या किन्हीं खनन संक्रियाओं के विलम्ब का आदेश दे सकते है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के अनुसार जब कभी भूमि से कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार के खनिज उठाता है तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसा उठाया गया खनिज बरामद कर सकेगी या जहां ऐसा खनिज पहले से निराकृत कर दिया गया हो, राज्यांश के साथ उनका मूल्य वसूल कर सकेगी ।

हमने जिला खनिज अधिकारी झाबुआ एवं मण्डला में खनि पट्टों से खतौनी प्रकरण नस्तियों चालानों में देखा (अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 के मध्य) कि 48 खनि पट्टाधारकों में से दो खनि पट्टाधारकों द्वारा वर्ष 2010 से 2012 के दौरान पुनरिक्षित के पूर्व खनन योजना अनुमोदन के बिना अनुमादित खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनियों को उत्खनन किया । आगे, अवलोकित किया कि निर्धारित आवधिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना अभिलेखो में नहीं पाया गया । इसके आगे, विभाग द्वारा न तो खनिजों के मूल्य का आंकलन किया गया और न ही मांगा गया । इस प्रकार, अनुमत्य सीमा से अधिक खनन अवैध था जिस पर खनिज की लागत ₹ 99.08 लाख वसूली योग्य थी, जैसा कि परिशिष्ट –XIX में दिया गया है ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (अक्टूबर एवं नवम्बर 2013 के मध्य) खनिज अधिकारी झाबुआ एवं मण्डला द्वारा बताया गया कि संबंधित पट्टेदारों को मांग पत्र जारी कर, वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदन किया (मई 2014) उनका प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)

7.11 ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का आरोपण एवं संग्रहण ।

7.11.1 ग्रामीण अवंसरचना एवं सड़क विकास कर कर वसूल न किया जाना।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं अधिसूचना (सितम्बर 2005) उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पांच प्रतिशत वार्षिक दर से किया जावेगा । अधिनियम में आगे प्रावधानित है कि पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों/लेखाओं के आधार पर सक्षम प्राधिकारी खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण

करेगा तथा प्रति वर्ष गई माह के अंत में कर का निर्धारण कर उसकी मांग करेगा । कर का भुगतान न होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी धारा 4(2) के तहत शास्ति का आरोपण करेगा जो देय कर राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी । किन्तु इसके पूर्व पट्टेदार को अपना पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा । उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी कर एवं शास्ति की राशि यदि उसका भुगतान नहीं किया गया है, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी ।

हमने जिला खनिज अधिकारी कार्यालय शिवपुरी में खनन पट्टों के संबंध में संधारित मुख्य खनिज प्रकरण नस्तियों की संमीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अक्टूबर 2013) कि एक पट्टेदार ने देय सड़क विकास कर ₹ 8.36 लाख के विरूद्ध ₹ 2.29 लाख का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप नियम के अधीन आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त ₹ 6.07 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई जैसा कि परिशिष्ट XX में विवरण दिया गया है ।जिला खनिज अधिकारी, शिवपुरी ने न तो मांग पत्र जारी किया और न ही प्रावधान के अधीन कर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रांरभ की ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, शिवपुरी ने बताया (अक्टूबर 2013) कि मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2011) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014) ।

7.11.2 शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का भुगतान न किया जाना ।

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं सितम्बर 2005 की अधिसूचना के अनुसार, गामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर का आरोपण, उत्पादित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य में से पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप सें भुगतान की गई राज्यांश की राशि घटाने के बाद शेष राशि के पाँच प्रतिशत वार्षिक दर से एवं शिथिल खदानों पर ₹ 4000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से खनि पट्टों के पट्टाधारकों पर किया जायेगा ।

हमने चार जिला खनिज कार्यालयों[8] में मुख्य खनिजों के खनि पट्टों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (सितम्बर 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि 86 पट्टेदारों में से 14

[8] बडवानी, छिन्दवाड़ा, दतिया, मंडला

पट्टेदारों ने अक्टूबर 2005 से मार्च 2013 की अवधि हेतु शिथिल खदानों पर सड़क विकास कर ₹ 5.16 लाख का भुगतान नहीं किया । खनिज अधिकारियेां ने न तो मांग पत्र जारी किया और न ही नियमों के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की । इसके परिणामस्वरूप नियम के अधीन आरोपणीय शास्ति के अतिरिक्त, ₹ 5.16 लाख कर की वसूली नहीं हुई जैसा परिशिष्ट– XXI में विवरण दिया गया है ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी दतिया ने बताया (सितम्बर 2013) कि शिथिल खनन पट्टों को निरस्त करने एवं बकाया वसूली हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है । जबकि जिला खनिज अधिकारी, मण्डला ने बताया (नवम्बर 2013) की मांग पत्र जारी कर वसूली की जायेगी । अन्य जिला अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा के बाद कार्रवाई/वसूली की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014) ।

7.12 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण/संग्रहण ।

7.12.1 औसत वार्षिक राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का व्यय आरोपण ।

म.प्र. शासन खनिज संसाधन विभाग के अनुदेशों (मार्च 1993) के अनुसार नये खनि पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, औसत वार्षिक राज्यांश पर आरोपणीय है जिसकी गणना, खनि पट्टे हेतु आवेदन में दर्शायी गई मात्र या माइनिंग प्लान में दी गई उत्पादन मात्र जो भी अधिक हो, के आधार पर की जायेगी । आगे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा – 33 के अनुसार, 20 से 30 वर्ष तक अवधि के पट्टे के लिए मुद्रांक शुल्क की राशि औसत वार्षिक राज्यांश के बाजार मूल्य के पाँच गुने पर आरोपणीय होगी।

जिला खनिज कार्यालय, मण्डला और नीमच के खनन पट्टों की प्रकरण नस्तियों के परीक्षण के दौरान हमने देखा कि 20 से 30 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टों की स्वीकृत करते समय पट्टा विलेख उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा अवधि हेतु प्रस्तवित उत्पादन के औसत के बयाज बजाय माइनिंग प्लान में दर्शाये गये प्रथम पाँच वर्षो के औसत उत्पादन के आधार पर (दिसम्बर 2010 से जून 2011 के मध्य)निष्पादित/पंजीकृत किये गये थे डोलामाइट और चूना पत्थर के पट्टेदारों ने आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 7.02 करोड़ के विरूद्ध ₹ 47.48 लाख का भुगतान किया जिसका विवरण परिशिष्ट –XXII में दर्शाया

गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.54 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/वसूली हुई जिला पंजीयक तथा उप पंजीयक ने भी पट्टा अनुबंध पंजीयन के समय सही मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली सुनिश्चित नहीं की । वर्ष 2012–13 की प्रतिवेदन में समान प्रकृति की कंडिका शासन के ध्यान में लाई गई थी, फिर भी विभाग द्वारा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, नीमच ने बताया (जनवरी 2014) कि शासन द्वारा निर्देश प्राप्त कर नियमानुसर कार्रवाई की जायेगी, जबकि जिला खनिज अधिकारी, मण्डला ने बताया (नवम्बर 2013) कि संवीक्षा के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । (दिसम्बर 2014)

7.12.2 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली ।

म.प्र. शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा मार्च 1993 में जारी अनुदेशों के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु संविदा राशि की सम्पूर्ण राशि को प्रीमियम माना जायेगा । इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस प्रभारित की जायेगी ।

जिला खनिज कार्यालयों भिण्ड एवं दतिया में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र. रा.ख.नि.लि.) को स्वीकृत पट्टों से संबंधित प्रकरण नस्तियों से पता चला (सितम्बर से अक्टूबर 2013 के मध्य) कि मार्च 2013 तथा मार्च 2015 के मध्य निगम के सात ठेकेदारों से ₹ 123.77 करोड़ में दो वर्ष के लिए अनुबंध किया । इस संविदा में, मुद्रांक शुल्क ₹ 6.18 करोड़ तथा पंजीयन फीस ₹ 4.64 करोड़ आरोपणीय एवं वसूली योग्य था । तथापि, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड ने प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 के स्टांप पेपर पर अनुबंध निष्पादित किये । जिसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट –XXIII में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 10.82 करोड़ राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी भिण्ड ने बताया (अक्टूबर 2013) कि आवश्यक कार्रवाई के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । जबकि खनिज अधिकारी, दतिया ने बताया (सितम्बर 2013) कि कंडिका मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड से संबंधित है इसलिए आक्षेप स्वीकार नहीं था । हम जिला खनिज अधिकारी, दतिया के उत्तर से

सहमत नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड खनिज संसाधन विभाग का एक पट्टेदार था और शासन के समस्त देय का नियमानुसार भुगतान करना पट्टेदार का दायित्व था ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2014) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014) ।

भोपाल **(दीपक कपूर)**

दिनांक **महालेखाकार**

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली **शशि कान्त शर्मा**

दिनांक **(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक)**